रजिस्ट्री सं० डी० एल०-3300...

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2000/फाल्गुन 11, 1921
No. 132] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2000/PHALGUNA 11, 1921

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पूंजी बाजार और विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, मार्च 1, 2000

का.आ. 183(अ).—केन्द्र सरकार प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 30 जुलाई, 1992 की अधिसूचना सं. का.आ. 573(अ) में निम्न प्रकार से संशोधन करती है, अर्थात् :—

''यह प्रावधान है कि सरकारी प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों, स्वर्ण संबंधी प्रतिभूतियों और इन प्रतिभूतियों से व्युत्पन्न प्रतिभूतियों के संबंध में किसी संविदा और बाण्डों, डिबेंचरों, डिबेंचर स्टॉक, प्रतिभूत ऋण तथा अन्य ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाओं के संबंध में उक्त अधिनियम की उक्त धारा 16 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अन्तर्गत गठित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी प्रयोग की जाएंगी :''

आगे यह भी प्रावधान है कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर की गई ऐसी संविदाएं निम्न के अनुसार की जाएंगी :—

(क) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए नियम अथवा विनियम अथवा उप-विधियां अथवा उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी निर्देश;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) अथवा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियम या जारी किए गए दिशानिर्देश अथवा निर्देश;

(ग) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचनाओं में निहित प्रावधान।''

[फा. सं. 1/55/एस.ई./97]

डा. जे. भगवती, संयुक्त सचिव

C

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(CAPITAL MARKETS AND EXTERNAL COMMERCIAL BORROWINGS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2000

S.O. 183(E).—In exercise of powers conferred by section 29A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), number S.O. 573 (E), dated the 30th July, 1992, as follows, namely:—

"Provided the powers exercisable by the Central Government under the said section 16 of the said Act, in relation to any contracts in Government securities, money market securities, gold related securities and in securities derived from these securities and in relation to ready forward contracts in bonds, debentures, debenture stock, securitised debt and other debt securities shall also be exercisable by the Reserve Bank of India constituted under section 3 of the Reserve Bank of India Act. 1934 (2 of 1934):

Provided further that such contracts entered into on the recognised stock exchanges shall be entered into in accordance with,—

(a) the rules or regulations or the bye-laws made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the directions issued by the Securities and Exchange Board of India under the said Acts;

(b) the rules made or guidelines or directions issued under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) by the Reserve Bank of India;

(c) the provisions contained in the notification issued by the Reserve Bank of India under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of1956).".

[File No. 1/55/SE/97]

Dr. J. BHAGWATI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.